न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 10/2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/18

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र हेमराज पारीक निवासी वार्ड नं. 24 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री महावीर प्रसाद पुत्र हेमराज पारीक निवासी वार्ड नं. 24 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री जुगल किशोर पुत्र हेमराज पारीक निवासी वार्ड नं. 24 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद पुरोहित – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 30.03.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 01.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 342/1 में 1.113 हैक्ट., 342/2 में 2.796 हैक्ट., 329/2 में 0.696 हैक्ट, 340 में 1.265 हैक्ट., 355/6 में 3.036 हैक्ट., 341/1 में 0.266 हैक्ट. व 341/2 में 2.214 हैक्ट. कुल 11.386 हैक्ट. रकबा तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ ने टीसी आवंटन किया था। तत्पश्चात् तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15.04.2006 के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित भूमि को पैराफैरी में आने के कारण व टीसी आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए रकबा राज घोषित कर दिया। तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 15.04.2006 से व्यथित होकर आवंटी गोदावरी देवी पत्नि हेमराज व मांगीलाल पुत्र हेमराज ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर निर्णय करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 01.01.2021 को कस्बा सूरतगढ़ के ख. नं. 342/1 की 1.113 हैक्ट., ख. नं. 342/2 की 2.796 हैक्ट., ख. नं. 329/2 की 0.696 हैक्ट., ख.नं. 340 की 1.265 हैक्ट., ख. नं. 341/1 की 0.266 हैक्ट. व ख. नं. 341/2 की 2.214 हैक्ट. कुल 8.350 हैक्टयर बारानी भूमि की हद तक अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 15.04.2006 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.01.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ का टीसी आवंटन नियमों के विरूद्ध था। रेस्पोडेन्ट्स के पिता हेमराज पूर्व में फौत हो चुके है तथा इस रकबे की ना तो कभी रकम जमा कराई गई और ना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम इस रकबे का नवीनीकरण हुआ। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता हैं। यह रकबा नगर पालिका सूरतगढ़ की 2 किमी की परिधि में आ चुका था। पैराफैरी में आए रकबे का ना तो खातेदारी अधिकार मिल सकते है एवं ना ही टीसी नवीनीकरण किया जा सकता है। टीसी आवंटन निरस्त होने के बाद उक्त भूमि रकबा राज होने पर रकबे की नियमानुसार राशि अपीलांट द्वारा जमा कराने के बाद रकबा नगर पालिका को हस्तांतरित कर कब्जा नगर पालिका सूरतगढ़ को सौंप दिया परंतु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही अपील अपीलांट स्वीकार कर ली। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.01.2021 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री विनोद पुरोहित ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15.04.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को बिना सुने 40 वर्ष पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का टीसी आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है एवं कब्जा रेस्पोडेन्ट्स का लगातार बना हुआ हैं। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णयों में कई अवसरों पर यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टीसी आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं हैं। तहसीलदार ने जिन सरकारी परिपत्रों का हवाला अपने निर्णय में दिया हैं, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टीसी लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर को दी गई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी लिखित बहस में निम्न नजीरात का हवाला दिया हैं–

(अ) निगरानी/एलआर/6010/2011 हनुमान प्रसाद बनाम स्टेट

(ब) निगरानी/एलआर/6521/2006 रतनी बनाम स्टेट

(स) निगरानी/एलआर/613/2007 कृष्ण कुमार बनाम स्टेट

(द) निगरानी/एलआर/2279/2011 ओमप्रकाश बनाम स्टेट

(य) निगरानी/एलआर/6130/2007 हरिशचन्द्र बनाम स्टेट

(र) निगरानी/एलआर/8377/2006 लालचंद बनाम स्टेट

(ल) निगरानी/एलआर/1523/2011 ओमप्रकाश बनाम स्टेट

उपरोक्त तमाम नजीरात में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस कानूनी बिन्दू को स्थापित किया है कि टीसी आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। नियम 19(ए) की शर्त अनुपालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर में निहित है।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 01.01.2021 को यथावत रखा जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खं. नं. 342/1 की 1.113 हैक्ट., ख. नं. 342/2 की 2.796 हैक्ट., ख. नं. 329/2 की 0.696 हैक्ट., ख. नं. 340 की 1.265 हैक्ट., ख. नं. 341/1 की 0.266 हैक्ट. व ख. नं. 341/2 की 2.214 हैक्ट. कुल 8.350 हैक्टयर बारानी भूमि है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को तहसीलदार सूरतगढ़ जिला

माननीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ चाहने पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./टीसी/2022/1171 दिनांक 14.03.2022 द्वारा यह स्पष्ट किया कि खं नं. 340 में 1.265 हैक्ट., 341/1 में 0.266 हैक्ट., 341/2 में 2.214 हैक्ट., 342/1 में 1.113 हैक्ट. एवं 342/2 में 2.796 हैक्ट. कुल 7.654 हैक्ट. रकबा पर रेस्पोडेन्ट्स मांगीलाल वगैरह का कब्जा हैं एवं मौके पर रेस्पोडेट्स द्वारा सरसों एवं गेंहू की फसल काश्त की हुई हैं। साथ ही खं. नं. 329/2 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर का स्थगन आदेश है। चूंकि खं नं. 329/2 में रेस्पोडेन्ट मांगीलाल वगैरह की 0.696 हैक्ट. भूमि भी शामिल है। अतः उक्त स्थगन से प्रभावित रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित भूमि को छोड़ते हुए, शेष कुल 7.654 हैक्ट. भूमि की हद तक अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 01.01.2021 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर